कार्यालय – जिलाधिकारी, ललितपुर

पत्र संख्याः 1809 /3–सी0आर0ए0– दिनांक 10 मार्च 2016

अल्पकालीन निविदा सूचना

प्रमुख सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन,राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ के पत्र संख्या–255/1–10–2016–33–(34)/2016 दिनांक 04 मार्च 2016 द्वारा बुन्देलखण्ड में सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिये जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के लिये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री दिये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन से राहत सामग्री आपूर्ति किये जाने हेतु मु0 05 करोड की धनराशि प्राप्त हुई है। अन्त्योदय लाभार्थियों (27282) में से जिन परिवारों की आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है, उन परिवारों को (प्रति परिवार) जा`संख्या वाद मे परिवर्तित हो सकती है जो सामग्री दी जानी है,उसका विवरण प्रति परिवार निम्न है:–

कम सं0	मात्रा	सामग्री का नाम
1	10 कि0ग्रा0	आटा
2	25कि0ग्राम0	आलू
3	05 कि0ग्राम0	चने की दाल
4	05 लीटर	सरसों का तेल
5	01 कि0ग्राम0	शुद्व देशी घी
6	01 कि0ग्राम0	मिल्क पाउडर बच्चों के लिये

आपूर्ति की जाने वाली सामग्री उच्च ग्रणवत्तायुक्त होनी चाहिये,साथही आपूर्ति की जाने वाली सामग्री ऐसे पेकेट में रखकर आपूर्ति की जानी है,जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा सुरक्षित रहे। निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन अनिवार्य होगा तभी वह उपरोक्त सामग्री आपूर्ति निविदा में भाग ले सकेगा ।

निविदा की शर्तेः–

1. निविदा पत्र में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की धनराशि के 2 प्रतिशत की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, जिलाधिकारी ललितपुर के पक्ष में बनवाकर संलग्न करना होगा ।
2. निविदादाता को विगत 3वर्षो की आय–व्यय का लेखा आयकर विभाग का टेन /पेन नम्बर भी प्रस्तुत करना होगा।
3. आपूर्ति की जाने वाली उक्त राशन सामग्री की उच्च गुणवत्ता होनी चाहिये ,जिसका परीक्षण जिला आपदा राहत समिति द्वारा करने के बाद ही आपूर्ति स्वीकार की जायेगी ।
4. शासन के निर्देशानुसार राहत के रूप में वितरित की जाने वाली कर योग्य बस्तुओं पर देय वैट से करमुक्त रहेगी ।
5. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को उक्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति निर्देशानुसार एक सप्ताह के अन्दर जिला मुख्यालय/तहसील में निर्दिष्ट स्थान पर जिला मुख्यालय पर ~~सचि~~ व नगूना गत्त में उपलब्ध करानी होगी ।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार/निरस्त करने का अंतिम अधिकार जिला आपदा राहत समिति को होगा ।
7. निविदा की शर्तो की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कलैक्ट्रेट ललितपुर में संग्रह/दैवी आपदा कार्यालय के कक्ष संख्या–18 में की जा सकती है।
8. निविदा प्रपत्र संग्रह कार्यालय कलैक्ट्रेट ललितपुर में प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 12–00 बजे से 4.00 तक रू0 500–00(मु0 पॉच सौ रू0) में प्राप्त की जा सकती है।
9. आपूर्ति हेतु शीलबन्द निविदायें दिनांक 19–3–2016 को अपरान्ह 1.00जे तक अपर जिलाधिकारी ललितपुर के कार्यालय में डाली जायेगी। अपरान्ह 3.00 बजे जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा गठितजिला आपदा राहत समिति के समक्ष खोली जायेगी।

(एम0 के0 त्रिवेदी)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), ललितपुर।

संख्या व दिनांक–उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0सचिवएवं राहत आयुक्त ,उ0प्र0 शासन,राजस्व अनुभाग–10,लखनऊ।
2. जिलाधिकारी,जनपद महोबा,झॉसी,जालौन,चित्रकूट,बॉदा कानपुर ,लखनऊ व इलाहाबाद।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत कलैक्ट्रेट ललितपुर/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद ललितपुर को नोटिस वोर्ड पर चस्पा किये जाने एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी ललितपुर को इस आशय से कि उक्त अल्पकालीन निविदा सूचना शासनादेश एवं निविदा प्रपत्र को जनपद की वेवसाईट पर अपलोड कराकर अवगत कराने का कष्ट करें ।
5. सम्पादक,दैनिक जागरण,अमर उजाला,हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अल्पकालीन निविदा को छोटे/पठनीय अक्षरों में सरकारी दर पर प्रकाशन कराते हुये व्यय सेसंबंधित बिल (जिला सूचना अधिकारी ललितपुर से सत्यापित कराकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(एम0 के0 त्रिवेदी)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), ललितपुर।